1. न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–42 सन् 2014

किशोरी राय व अन्य.....वादीगण

बनाम

शिवनारायण राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 06.12.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 17.09.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस बंटवारा वाद वादी ने दाखिल किया है। जिसमें भूलवश दो जमीन का विवरण वादपत्र में दर्ज होना छूट गया हैं जिसे समाहित करना आवश्यक है। वादी अनपढ़ गवार वो सीधा–साधा व्यक्ति है तथा वादी ने जानबूझकर गलती नहीं किया है। अतः प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है इससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 2002 (1) पी0एल0जे0आर0 172 में पारित निर्णय के अवलोकन से ही स्पष्ट होगा कि बंटवारा वाद में छूटे हुए प्लॉट को जोड़ने वास्ते दिये गए संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए। संशोधन आवेदन स्वीकार नहीं होने से वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि संशोधन आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दिनांक 07.12.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल कर उसमें उनका कथन है कि वादीगण के द्व

ारा दाखिल संशोधन आवेदन विधि एवं तथ्य के दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य हैं वादीगण को अपने वाद के संबंध में पूरी जानकारी है। वादी प्रतिवादीगण को तंग वो परेशान करने के नियत से वर्तमान वाद लाया है। वादीगण ने आवेदन विलंब से दाखिल किया है। संशोधन आवेदन अस्पष्ट होने के कारण भी खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादीगण का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार इस वाद में विचारण प्रारंभ हो गया है। विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् वादी की ओर से दो साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी की ओर से संशोधन आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् विलंब से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद वादी ने बंटवारा हेतु दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादीगण को प्रदान कर आवेदन में लिखित तथ्यों का संशोधन करें।

वाद दिनांक 20.12.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।